दिनांक 17.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 434/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद उन्नाव/थाना गंगाघाट

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **लूट के 02 लाख 95 हजार रूपये नकद**
- **लूटी गयी मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **लूट के 03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 16.08.2026 की रात्रि थाना गंगाघाट, एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कनोड़िया पम्प के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शईम उर्फ सोएब 2–शफीक उर्फ जग्गा घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–अली रजा उर्फ राजा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, लूट के 02 लाख 95 हजार रूपये नकद, लूटी गयी मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), लूट के 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना गंगाघाट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गंगाघाट पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शफीक उर्फ जग्गा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस, गुण्डा एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शईम उर्फ सोएब निवासी कोराई थाना मलवा जनपद फतेहपुर वर्तमान पता–ग्राम महापुर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

2–शफीक उर्फ जग्गा निवासी घूमनगंज थाना खागा जनपद फतेहपुर वर्तमान पता–ग्राम फिरोजपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

3–अली रजा उर्फ राजा निवासी बाबूपुरवा जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1–लूटे गये भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–लूट के 02 लाख 95 हजार रूपये नकद।

3–लूटी गयी मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

4–03 मोबाइल फोन।

5–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद भदोही/थाना गोपीगंज

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17.08.2026 को थाना गोपीगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भट्ठा चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गोपीगंज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशाल निवासी बारीपुर थाना कोईरौना जनपज भदोही।

जनपद सोनभद्र/थाना चोपन

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 40 लाख 80 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 204 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 17.08.2026 को थाना चोपन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसकटवा रेलवे ब्रिज के पास चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 06 अभियुक्तों 1–आयुष 2–धर्मवीर 3–सुधीर कुमार उर्फ छोटू 4–सूरज उर्फ अभिषेक 5–जितेन्द्र कुमार 6–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 40 लाख 80 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 204 ग्राम अवैध हेरोइन, नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चोपन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आयुष निवासी डाला बाजार, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

2–धर्मवीर निवासी डाला चढ़ाई, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

3–सुधीर कुमार उर्फ छोटू निवासी डाला चढ़ाई, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

4–सूरज उर्फ अभिषेक निवासी डाला चढ़ाई, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

5–जितेन्द्र कुमार निवासी चूड़ी गली डाला, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।

6–दीपक निवासी पूर्वी परासी वार्ड नंबर 18 थाना अनपरा जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1–लगभग 02 करोड़ 40 लाख 80 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 204 ग्राम अवैध हेरोइन।

2–नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना फजलगंज

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 15 किलो 320 ग्राम अवैध चरस**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 17.08.2026 को थाना फजलगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दादानगर ढाल के पास से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1–आसमित 2–आयुष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 15 किलो 320 ग्राम अवैध चरस, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फजलगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आसमित निवासी डूडा कॉलोनी स्वर्ण जयन्ती विहार यशोदा नगर थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर नगर।

2–आयुष निवासी काजीखेड़ा लालबंगला थाना चकेरी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1–लगभग 15 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 15 किलो 320 ग्राम अवैध चरस।

2–नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3–01 चार पहिया वाहन आदि।

➢ **जनपद शामली/थाना कांधला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना कांधला पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–अर्जुन 2–विक्रांत को

धारा 302/34/364/201/342 भादवि व 25(1ख) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 71–71 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 3–मोनू को धारा 302/34/364/201/342 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 61 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 4–वीरेन्द्र को धारा 342/364/109 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बाबूराम 2–मनीष 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बदायूं/थाना इस्लामनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूं द्वारा थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/427 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुभाष को आजीवन कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना थरियांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना थरियांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/149/147/148/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नूरूल हसन 2–सोहराब 3–इमदाद 4–वहाज को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————